विभाग का नाम :– श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :– 5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली–110054
तारांकित प्रश्न संख्या :– 59
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री संजीव झा, सदस्य, दिल्ली विधान सभा
दिनॉक :– 8 अगस्त, 2018
क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या दिल्ली सरकार की अस्थायी और कंट्रैक्चुअल कर्मचारियों को सीधे संबंधित विभाग द्वारा लगाए जाने की कोई योजना है;	ठेका श्रम (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 4 के अंतर्गत दिल्ली ठेका सलाहकार श्रम बोर्ड का पुनर्गठन दिनॉक 14–11–17 को अधिसूचना द्वारा किया गया । यह 13 सदस्यों का एक त्रिपक्षीय बोर्ड है । बोर्ड के अध्यक्ष माननीय श्रम मंत्री हैं और इनके सदस्यों में दिल्ली विधान सभा के दो माननीय विधायक भी सदस्य हैं, इनके अतिरिक्त सरकार के प्रतिनिधि, नियोक्ता और कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधि शामिल हैं । बोर्ड की पाँचवीं बैठक दिनांक 18–07–2018 को आयोजित की गयी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रथम चरण में सरकारी विभागों में ठेकेदारों को हटाकर विभाग ठेकेदारों के श्रमिकों को सीधे विभाग में ठेके पर नियुक्त करेगा ।
(ख)	यदि हाँ, तो यह योजना कब से लागू की जाएगी,	बोर्ड ने प्रस्ताव पारित कर श्रम विभाग को सौंप दिया है, जो सभी विभागों से सूचना एकत्रित कर कैबिनेट नोट पेश करेगा। कैबिनेट की स्वीकृति के पश्चात यह योजना लागू की जाएगी।
(ग)	इस योजना से कौन–कौन से कर्मचारी लाभान्वित होंगे, और	इस योजना से ठेके पर काम कर रहे सभी कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जो भिन्न –भिन्न विभागों में काम कर रहे है।
(घ)	विभाग द्वारा इन कर्मचारियों को सीधे वेतन भुगतान करने के मैकेनिज्म का पूर्ण विवरण दें ?	सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा सीधे ही कर्मचारी के खाते में वेतन भुगतान किया जाएगा।

हस्ताक्षर

3/8/18

(विभागाध्यक्ष)

Secretary cum Commissioner (Labour)